न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट), बागपत।
उपस्थितः (शबिस्ताँ आकिल), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06283

UPBG010006952026
द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः-241/2026

पवन गोयल पुत्र विष्णु स्वरूप गोयल, निवासी कस्बा अमीनगर सराय, थाना सिंघावली अहीर, जिला बागपत। .....अभियुक्त।

बनाम

राज्य ....अभियोजक।

दिनांकः 12.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **पवन गोयल** उपरोक्त की ओर से मु०अ०सं० 271/2024, थाना सिंघावली अहीर, जिला बागपत में धारा 352, 115(2), 351(2) बी०एन०एस० व धारा 3(2)(va) एस०सी०एस०टी०एक्ट में नियमित जमानत पर रिहा किये जाने हेतु उपरोक्त द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। संलग्न शपथपत्र के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का इस प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष यह द्वितीय नियमित जमानत आवेदन है। प्रथम जमानत आवेदन अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया गया था।

वादी मुकदमा पर नोटिस की तामीला पर्याप्त है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 03-10-2024 को समय 11:45 पर वादी मुकदमा सुनील कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार द्वारा संबंधित थाना पर तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि वह दिनांक 24.09.2024 को समय लगभग 2 बजे दोपहर बिनौली अड्डा पर खड़ा था। तभी वहाँ पर पवन गोयल पुत्र विष्णु स्वरुप गोयल, निवासी अमीनगर सराय व एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसका हाथ पकडकर बोला कि चल उसके गोदाम पर उसे कुछ जरुरी बात करनी है। पवन गोयल उसका हाथ पकडे रहा तथा उसे जबरदस्ती अपने गोदाम पर ले गया। गोदाम में वह उसे अपने ऑफिस में ले गया। ऑफिस में आते ही पवन गोयल ने अपने ऑफिस का अन्दर से ताला बन्द कर दिया और पवन गोयल व उसके साथियों ने बन्धक बनाकर जबरदस्ती बैठा लिया। तभी पवन गोयल ने कहा साले तू वहाँ मोबाईल पर किस से बात कर रहा था। उसने बताने से मना किया तो बोला साले हम यहाँ के राजा है हमारी मर्जी के बिना तो कोई पत्ता भी नही हिलता है। उसके बाद पवन गोयल ने उसका मोबाईल छीन लिया। फिर पवन ने उसके साथ मारपीट शुरु कर दी तथा जान से मारने की नियत से उसका गला दबा दिया। उसके चिल्लाने पर बहुत से लोग आ गये जिन्होने उसे बचाया। जिससे उसको गम्भीर चोट आयी। जैसे ही वह बचकर बाहर की तरफ दौडा तो पवन पीछे से चिल्लाया कि साले आज तो तू बच गया फिर किसी दिन मिला तो जान से मार देगा।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी /अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फँसाया गया है। उसने उक्त वर्णित अपराध कारित नहीं किया है। पत्रावली पर कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उसके विरूद्व एस०सी०एस०टी०एक्ट का अपराध नहीं बनता है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अपराध सात वर्ष से अनाधिक की अवधि के दण्ड से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा के साथ मारपीट करने, गाली गलौंच करने और उसको जान से मारने की धमकी देने व वादी मुकदमा जो अनुसूचित जाति के सदस्य है, को लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का अभियोग है। मामला सात वर्ष से अनाधिक के दण्ड से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। प्रार्थी/अभियुक्त अंतरिम जमानत पर है। उसके द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते

Digitally signed by Shabistan Aquil
Date: 2026.03.13 11:36:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हुए, बिना गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए, न्यायालय का मत है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **पवन गोयल** का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये-

1- प्रार्थी/अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

2- प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।

3- जमानत पर छूटने के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।

दिनांकः 12.03.2026

(शबिस्तॉ आकिल)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट), बागपत।